गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र संख्याः ....110..... /1324/जोन–6/कॉम/जी.एच./2011–12 दिनांक 23-11-2015

सेवा में,

मैसर्स आदि वेस्ट कर्न्सोशियम प्रा0लि0,
द्वारा श्री अमित कुमार जैन (डायरेक्टर),
आर.सी.–1/2, सै0–1, वैशाली,
गाजियाबाद

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा भूखण्ड सं0–RC-1/2, सै0–1, वैशाली पर प्रस्तावित मानचित्र संख्या–1324/जोन–3/कॉम/जी.एच./2011–12 दिनांक 30.01.2012 पर शासनादेश संख्या–1982/8–3–14–155 विविध/14 दिनांक 27.10.2014 वर्तमान में प्रचलित भवन उपविधि के प्राविधानों के अर्न्तगत क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित संशोधित मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय दि0 22.07.15 को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

1. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–1324/जोन–3/कॉम/जी.एच./2011–12 की समस्त शर्तें यथावत रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
3. मानचित्र की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
4. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
5. यदि भविष्य में किसी कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किस स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
7. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुले।
8. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर को निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
9. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नही रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
10. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
11. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अर्न्तगत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो शर्त भी मान्य होगी।
12. सड़क पर अथवा बैक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नही बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
13. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
14. पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त शपथ पत्रों का पालन करना होगा।
15. भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि की अवशेष धनराशि लेबर सैस की मद में यू.पी. बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वर्कर्स वेलपफेयर बोर्ड गाजियाबाद में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
16. प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रूपये 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र)की जमानत राशि की एफ.डी.आर. पूर्व शमन मानचित्र में जमा की गयी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।